



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा. संख्या सीआर/16(4)/2009-खंड-V

दिनांक.13/02/2020

वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 2020 का 04 [वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 16/2016 का अनुशेष] विषय;- समुद्री परिवहन श्रम कन्वेशन, 2006 का कार्यान्वयन – भारतीय ध्वज पोतों का समुद्री

श्रम परिस्थितीयों का निरीक्षण एवं प्रमाणिकरण - संबंधी ;-

जबिक, भारतीय ध्वज पोतों के समुद्री श्रम परिस्थितियों का निरीक्षण प्रमणिकरण समुद्री श्रम कन्वेंशन के कार्यान्वयन के संबंध में नौवहन महानिदेशालय मैं वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 2016 का 16 जारी किया है

2.जबिक अंतराष्ट्रीय श्रम सगंठन द्वारा एमएलसी 2016 का विनियमन 4.3 एवं 5.3 की संहिता 2016 से संबंधित संशोधन स्वीकृत किया है I

3.जबिक ऐसे उदाहरण देखे गए पोत स्वामियों/पोत कंपिनयों ने पोत के मालिक/जहाज के नाम में परिवर्तन और समुद्री श्रम प्रमाणपत्र में और नवीकरण निरीक्षण के लिए समुद्री श्रम प्रमाणपत्र की वैधता के विस्तार हेतु स.वा.वि/नौवहन महानिदेशालय से संपर्क किया है ।

4.और जबिक उक्त प्रमाणपत्रों के लिए इस प्रकार के संशोधन हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क स्थित वाणिज्य पोत परिवहन सूचना में निर्धारित नहीं किया है।

5.इसलिए अभी दिनांक.08.12.2016 की वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 2016 का 16 में निम्न संशोधन किए गए है।

(i).दिनांक.18.12.2016 के वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 2016 का 16 के अनुलग्नक -1 में परिच्छेद 12 के बाद, निम्न परिच्छेद 12(ए) को संकलित किया है I

क्रम संख्या	विषय/मद	रुपयों में शुल्क
1	पोत स्वामियों के पोत का नाम/पतों में बदलाव	रुपय 5000/-
2	पोत स्वामियों का बदलना	पहली बार समुद्री श्रम प्रमाणपत्र को जारी करने पर प्रक्रिया एवं शुल्क
3	ध्वज का परिवर्तन	पहली बार समुद्री श्रम प्रमाणपत्र को जारी करने पर प्रक्रिया एवं शुल्क रूपय 5.000/-
4	प्रमाणपत्र गुम होने के अवस्था में नकली समुद्री श्रम प्रमाणपत्र/डीएमएलसी प्रमाणपत्र को जारी करना	रूपय 5.000/-
, 5	नविकरण निरीक्षण के सिवाय समुद्री श्रम प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने पर	पहली बार समुद्री श्रम प्रमाणपत्र को जारी करने पर प्रक्रिया एवं शुल्क

यथा संशोधित समुद्री श्रम शुल्क कन्वेंशन 2006 का मानक ए 5.13 का परिच्छेद 3 या 4 के अनुसार समुद्री श्रम प्रमाणपत्र का नवीकरण के लिए जो पोत कार्यात्मक नहीं है जैसे कि ड्राय डॉकिंग, लयेड अप, मान्सून ले आफ इत्यादी हेतु योग्य उपाय किए जाएं.

- (ii) वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 2016 का परिच्छेद 11 (स्वास्थ एवं सुरक्षा एवं दुर्घटना रोकथाम) का उप परिच्छेद को निम्नानुसार बदला गया है I
- "(c) यथा संशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 का संबंधित भाग के अनुसार पोत चढ़ने पर व्यावसायिक दुर्घटनाएं, हानी एवं बीमारी साथ ही साथ प्रत्ताडना एवं बदमाशी होने की रिपोर्ट पोत स्वामी देगें."
- (iii) वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 2016 का 16 का अनुलग्नक (i) ए अनुलग्नक में, परिच्छेद-11 (स्वास्थ एवं सुरक्षा एवं दुर्घटना रोकथाम) का परिच्छेद एफ के बाद निम्न विषय को संकलित करें.
- (g) सभी व्यावसायिक दुर्घटनाऐ एवं व्यावसायिक क्षति एवं मृत्यू को कारणीभूत बीमारी या गंभीर निजी हानी के साथ सभी कारणों एवं परिस्थिती को ध्यान में रखकर पोत मालक को जाँच करनी चाहिए.
 - (a) कार्यस्थल का माहौल, जैसे कार्यशील सतहें, मशीनरी का लेआऊट, पहूच के साधन, कार्य के लिए प्रकाश और विधियां.
 - (b) व्यावसायिक दुर्घटनाओं एवं व्यावसायिक क्षतिओं एवं बीमारी के विभिन्न आयु वर्गा में घटित होना.
 - (c) शिपबोर्ड पर्यावरण द्वारा सृजित विशिष्ट शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक समस्याऐ
 - (d) पोत पर भौतिक दबाब के कारण पैदा होने वाली समस्याएं, विशेषकर बढ़ा हुआ कार्यभार
 - (e) तकनीकी विकास के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली समस्याएं एंव परिणाम और उनका कर्मचारियों के सगंठन पर होने वाला परिणाम.
 - (f) किसी मानव विफलता से निर्माण होने वाली समस्याएं; एवं
 - (g) उत्पीड़न एवं बदमाशी से उत्पन्न होने वाली समस्याऐ.
- (iv) उक्त वाणिज्य पोत परिवहन सूचना का अनुलग्नक ii में उप परिच्छोद 4.3.9.18 के बाद निम्न उप परिच्छेद को जोड़ें 4.3.9.19 उत्पीड़न एवं बदमाशी से उत्पन्न होने वाली समस्याऐ.
- 6. यह सूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा.
- 7. इसे नौवहन महानिदेशालय एवं अपर सचिव,भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

(सुभाष बरगुजर) उपनौवहन महानिदेशक (क्रू)

सेवा में.

- 1. नौवहन महानिदेशालय वेबसाईट माध्यमसे सभी हितधारी.
- 2. नौवहन महानिदेशालय वेबसाईट पर डालने के लिए कप्यूटर अनुभाग, नौवहन महानिदेशालय, मुंबई





भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नीवहन महानिदेशालय, मुंबई DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

F.No.CR/16(4)/2009-Vol.V

Date: 13.02.2020

Merchant Shipping Notice No. 04 of 2020

[Addendum to Merchant Shipping Notice No. 16 of 2016]

Subject: <u>Implementation of the Maritime Labour Convention</u>, 2006 – inspection and certification of the maritime labour conditions of Indian flag ships – reg.

Whereas the Directorate General of shipping has issued Merchant Shipping Notice No.16 of 2016 F.No.CR/16(4)/2009-Vol.V dated 08.12.2016 regarding Implementation of the Maritime Labour Convention, 2006 – inspection and certification of the maritime labour conditions of Indian flag ships.

- 2. And whereas, amendments of 2016 to the code relating to Regulation 4.3 & 5.1 of MLC 2006 has been adopted by International Labour Organisation.
- 3. And whereas, instances have been observed where the ship-owners/shipping companies approached MMDs/DGS for making certain amendments to DMLC part II and Maritime Labour Certificate in view of change of name of ship-owner/ship and for extension of the validity of Maritime Labour Certificate for renewal inspection.
- 4. And whereas, the existing Merchant Shipping Notice does not prescribe any fee for such amendments for the said certificates.
- 5. Now therefore, following amendments to the Merchant Shipping Notice No. 16 of 2016 dated 08.12.2016 are made:-
- (i) In the Annexure I of Merchant Shipping Notice No. 16 of 2016 dated 18.12.2016, after para 12, the following para 12(A) shall be added:

S.No.	Item	Fees in Rs.
1	Change of name of Ship/address of the ship-owner	5,000/-
2	Change of ship-owner	Procedure and fees as per initial issuance of Maritime Labour Certificate.
3	Change of flag	Procedure and fees

Page 1 of 3



		as per initial issuance of Maritime Labour Certificate
4	Issuance of Duplicate Maritime Labour Certificate/DMLC Certificate in case of loss of certificate(s)	5,000/-
5	Where the validity of maritime labour certificate expires without renewal inspection	Procedure & fees as per initial issuance of Maritime Labour Certificate.

The ships which are not likely to be operational such as dry docking, layed up, monsoon lay off etc. shall take appropriate measures for renewal of Maritime Labour Certificate as per Paragraph 3 or 4 of Standard A 5.1.3 of Maritime Labour Convention 2006, as amended.

- (ii) In the Annexure IA of Merchant Shipping Notice No. 16 of 2016, sub Para (c) of Para 11 (Health and safety and accident prevention) shall be replaced as under:-
 - "c) Ship owners shall report the details of occupation accidents, injuries and diseases, including harassment and bullying occurred on board the ships in accordance with the relevant section of Merchant Shipping Act 1958 as amended."
- (iii) In Annexure IA of Merchant Shipping Notice No. 16 of 2016, Health and safety and accident prevention, the following text shall be added after sub para (f) of Para 11 (Health and safety and accident prevention):
- "(g) The ship-owner should undertake investigations into the causes and circumstances of all occupational accidents and occupational injuries and disease resulting in loss of life or serious personal injury including
 - (a) working environment, such as working surfaces, layout of machinery, means of access, lighting and methods of work;
 - (b) incidence in different age groups of occupational accidents and occupational injuries and diseases;
 - (c) special physiological or psychological problems created by the shipboard environment;
 - (d) problems arising from physical stress on board a ship, in particular as a consequence of increased workload;
 - (e) problems arising from and effects of technical developments and their influence on the composition of crews;



- (f) problems arising from any human failures; and
- (g) problems arising from harassment and bullying."
- (iv) In Annexure III of the said Merchant Shipping Notice after sub-para 4.3.9.18, following sub para shall be added:-
 - "4.3.9.19 Problems arising from harassment and bullying.
- 6. This Notice will come into force with immediate effect.
- 7. This issues with the approval of the Director General of Shipping & Additional Secretary to the Govt. of India.

(Subhash Barguzer)

Deputy Director General of Shipping (Crew)

To

- 1. All stakeholders through DGS website.
- 2. Assistant Director (OL), DG Shipping, Mumbai for Hindi version.
- 3. Computer Section, DGS, Mumbai with the request for placing it in the DGS website.